

गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों पर लगे प्रभावी अंकुश : मुख्यमंत्री

नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त एक्शन लें, विशेष अभियान चलाएं : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रभावी अंकुश लगाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशे की समस्या के उन्मूलन के लिए इससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला के रूट का चिन्हिकरण करते हुए विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी और सतर्कता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना के तहत कार्रवाई की जाए तथा छोटे-बड़े सभी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए पुलिस, ड्रप्स कंट्रोलर, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक ली।

समन्वित प्रयास करें। साथ ही, उन्होंने नशे के प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी पैरवी के संबंध में निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा अपराध की जड़ है तथा समाज व परिवारों पर इसके दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए नशे के दुष्परिणामों के संबंध में विद्यालयों और महाविद्यालयों

में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जुड़कर पाँक्सो एक्ट एवं अन्य कानूनों के संबंध में आमजन को जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध प्राथमिकता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में साइबर अपराध की घटनाएं घटित हो

रही है, वहां इनसे जुड़े गिरोहों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। ये अभियान तब तक चले, जब तक संबंधित क्षेत्र में ऐसे अपराध जड़ से समाप्त नहीं हो जाए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले दो वर्षों में अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध

■ मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए

■ प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर अपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश

कार्रवाई की प्रगति की प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर मॉनिटरिंग की जाए। इन मामलों में कोताही बरतने पर जिम्मेदारी तय की जाए। शर्मा ने कहा कि डिजिटल युग में अपराध भी हाइटेक होने लगे हैं। ऐसे में पुलिस भी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए मॉडर्न पुलिसिंग को अपनाएं।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, विभिन्न जिलों से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से जुड़े।

एसीएस शिखर अग्रवाल ने जांची इंडिया स्टोन मार्ट की तैयारियां

जयपुर (कासं)। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने मंगलवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी पहुंचकर इंडिया स्टोन मार्ट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों का

■ उन्होंने निरीक्षण के दौरान प्रदर्शनी हॉल, आंगतुक सुविधाएं, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्लानिंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की

जायजा लिया। यह आयोजन 5 से 8 फरवरी तक सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होगा। जिसमें देश-विदेश से स्टोन उद्योग से जुड़े प्रमुख उद्योगपति, निर्यातक, आयातक, तकनीकी विशेषज्ञ और निवेशक भाग लेंगे। शिखर अग्रवाल ने आयोजन स्थल पर अब तक की जा चुकी तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को शेष तैयारियों भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर नटवर अजमेरा, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री नरेश पारीक, सीडीओएस के वाइस चेयरमैन दीपक



उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने मंगलवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी पहुंचकर इंडिया स्टोन मार्ट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया।

अजमेरा, राष्ट्रीय सचिव अंजु सिंह, सीडीओएस के सीईओ मुकुल रस्तोगी, सीडीओएस के चेयरमैन दीपक अजमेरा, अतिरिक्त महाप्रबंधक विवेक जैन, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान प्रदर्शनी हॉल, आंगतुक सुविधाएं, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्लानिंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। एसीएस शिखर अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन के दौरान अंतरराष्ट्रीय

स्तर के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि देश-विदेश से आने वाले उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारियों और निवेशकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 ने केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के स्टोन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। ऐसे में आयोजन की हर व्यवस्था समयबद्ध, सुव्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।

पाँक्सो कानून में ‘रोमियो-जूलियट’ के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार की घटनाओं को लेकर कहा कि “रोमियो और जूलियट” के बढ़ते मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। चिंता इस बात की है कि वर्तमान कानून बलात्कार और किशोर अवस्था में सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करने में विफल है। इसमें सहमति के मामले में अठारह वर्ष की आयु पर जोर दिया है, इससे निकट के मामलों को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा है। एक मामला तो ऐसा भी आ चुका, जिसमें आयुसीमा एक घंटा ही कम थी। कानून अनजाने में “पीड़ितों” को एक श्रेणी तैयार करता है, जो भागकर शादी करने के कारण स्वयं को पीड़ित नहीं मानते। न्याय प्रणाली बाल संरक्षण की वास्तविकता के बजाय माता-पिता की अस्वीकृति से संचालित होती है और विवेकाधिकार नहीं होने के न्यायपालिका युवा वयस्कों को अपराधी मानने के लिए मजबूर है।

न्यायाधीश अनिल उपमन ने 19

■ अदालत ने कहा कि “चिंता इस बात की है कि वर्तमान कानून बलात्कार और किशोर अवस्था में सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करने में विफल है। इसमें सहमति के मामले में 18 वर्ष की आयु पर जोर दिया है, इससे निकट के मामलों को लेकर कोई प्राधान्य नहीं रखा है।”

साल के युवक की याचिका मंजूर कर उसे राहत दी। कोर्ट ने कहा कि देशभर में पोक्सो के तहत दर्ज मामलों में एक बड़ा हिस्सा रोमियो-जूलियट प्रकृति का है, जहां दो किशोरों या एक किशोर-एक युवा के आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। ऐसे जोड़े भी शामिल हैं जो शादी करने का इरादा रखते हैं या पहले से रिश्ते में होते हैं। वर्ष 2012 से पहले ऐसे मामले अपराध की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन अब लड़की की सहमति के बावजूद अपराध है और उसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा है। कानून का मशीनी अंदाज में प्रयोग बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के बजाय युवाओं के अनावश्यक जेल और दोनों पक्षों के

लिए सामाजिक कलंक का कारण बनता है। कानून बनाने वालों का इरादा सख्त कानून बनाकर उन युवा वयस्कों को परेशान करना नहीं रहा होगा, जो सामाजिक स्वीकार्यता के विपरीत सहमति से रिश्ते बना रहे हैं। इसने न्यायिक विवेकाधिकार सीमित कर दिया, जिससे हिंसक इरादा नहीं होने के बावजूद कोर्ट के पास न्याय देने बहुत कम गुंजाइश बची है। इससे कानून अनजाने में किशोरों की स्वायत्तता को अपराध बनाकर युवाओं को जघन्य अपराधियों जैसी सजा दिला रहा है, यह स्पष्ट अन्याय है।

‘कोर्ट आंख नहीं मूंद सकती है’ कोर्ट ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द करते हुए कहा

कि ऐसे मामले में आंख नहीं मूंदी जा सकती। जब पीड़िता आरोपी को बेगुनाह बताती है और मेडिकल रिपोर्ट भी पक्ष में होती है तो सामाजिक मर्यादा के हथियार के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा में राज्यहित और निजता व व्यक्तिगत पसंद के संवैधानिक अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। इसके बिना कानूनी व्यवस्था किशोर प्रेम को अपराधीकरण करने के दुष्पन्न में फंसी रहती है।

‘पुलिस-ट्रायल कोर्ट ने मशीनरी काम किया’

महज उन्नीस वर्ष के याचिकाकर्ता युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद कम से कम बीस वर्ष की सजा है। कठोर और निर्मम वैधानिक व्याख्या के नाम पर पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया जाता है। ऐसा दृष्टिकोण

भारतीय न्यायशास्त्र के सुधारवादी नजरिए को कमजोर करता है। कानून को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वह युवाओं के विनाश का साधन बन जाए। 19 साल के युवा के खिलाफ 17 साल की किशोरी का अपहरण कर पाँक्सो का मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस और ट्रायल कोर्ट ने मशीन की तरह काम किया, जबकि युवती ने मर्जी से घर से जाने और कोई जबरदस्ती नहीं होने, सहमति से संबंध बनाने की बात कही।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में ऐसा प्रावधान हो जो न्यायपालिका को तथ्यों व परिस्थितियों के हिसाब से न्याय करने का अवसर दे। इसके अलावा युवाओं के अनावश्यक अपराधीकरण को रोक जा सकेगा। जब तक विधायिका ऐसा संतुलित तंत्र प्रदान नहीं करती, तब तक कानून की भावना के विपरीत न्याय करने के लिए न्यायालयों पर ऐसे मामलों का बोझ बना रहेगा। यह न्यायिक समय की बर्बादी और युवा जीवन का विनाश होगा।

अफसरों को अवमानना में तलब किया तो हुई पालना

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में एनटीटी योग्यता वालों को ब्रिज कोर्स करावाकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में नियुक्ति नहीं देने के मामले में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, पूर्व सचिव नवीन जैन, निदेशक सीताराम जाट सहित डीईओ कांडेर अदालत में पेश हुए। अफसरों ने अदालत को बताया कि अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति आदेश जारी

कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रिज कराया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पेश पालना रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखी है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ सुमन कुमारी व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अवमानना याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि

याचिकाकर्ता साल 2006 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में चयनित हुई थी। उनकी एनटीटी योग्यता को बीएसटीसी के समकक्ष नहीं मानकर नियुक्ति से रोकित कर दिया गया। वहीं मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में आने पर अदालत ने 6 जनवरी, 2022 को आदेश जारी कर एनटीटी योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स करावाकर नियुक्ति दी जाए।

राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद विधानसभा में हंगामा, 2 बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

भाजपा विधायक श्रीचंद कृपालानी ने कहा था कि “राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर डोकलाम विवाद उठाया, जो गलत है”

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा मचा। विपक्ष के विधायकों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वेल में उतरकर विरोध जताया, इस दौरान हंगामे और पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ती नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही भी 2 बार स्थगित करनी पड़ी।

दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चल रही बहस के दौरान भाजपा विधायक श्रीचंद कृपालानी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, वे बिना प्रकाशित हुई किताब का हवाला देकर बेवजह आरोप लगा रहे हैं और उनमें इतना विवेक नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका उल्लेख विधानसभा में नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की।

टीकाराम जूली की आपत्ति के बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। शोर-शराबा बढ़ने पर सभापति ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा नहीं थमा

■ कृपालानी ने यह भी कहा कि “इस राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन वे देश के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि राहुल गांधी ऐसा करते हैं। वे विदेशों में जाकर देश पर सवाल उठाते हैं। वे ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं।”

■ कांग्रेस विधायकों ने कृपालानी की इस टिप्पणी के बाद वेल में उतरकर नारेबाजी की और विरोध जताया। उन्होंने इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से विलोपित करने की मांग रखी, जिसे बाद में आसन ने स्वीकार कर लिया

श्रीचंद कृपालानी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि, राहुल गांधी ने कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई। हंगामे के दौरान कृपालानी ने यह भी कहा कि इससे पहले डोटसरा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की गई थी, जिसे कार्यवाही से नहीं हटाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनकी टिप्पणी में ऐसा क्या है, जिसे हटाया जाए। इस पर विपक्ष ने और विरोध जताया। लगातार बढ़ते हंगामे के चलते सभापति ने शाम 4 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी माहौल शांत नहीं होने पर कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। सदन में दिनभर राजनीतिक गर्मी बनी रही।

कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई। हंगामे के दौरान कृपालानी ने यह भी कहा कि इससे पहले डोटसरा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की गई थी, जिसे कार्यवाही से नहीं हटाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनकी टिप्पणी में ऐसा क्या है, जिसे हटाया जाए। इस पर विपक्ष ने और विरोध जताया। लगातार बढ़ते हंगामे के चलते सभापति ने शाम 4 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी माहौल शांत नहीं होने पर कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। सदन में दिनभर राजनीतिक गर्मी बनी रही।

‘वन्य जीवों के हमले में मौत पर 10 लाख रु. मुआवजा देने की तैयारी’

जयपुर (विसं)। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में आवसत किया कि विधानसभा क्षेत्र शिव में नवीनीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों का परीक्षण करारक तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। दियाकुमारी प्रश्नकाल में विधायक रवीन्द्र सिंह भाटी के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही रही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये से सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के तहत शिव विधानसभा क्षेत्र में 17 कार्य प्रस्तावित किये गये थे। इनमें से सात कार्य पूर्ण हो चुके हैं, एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

उन्होंने कहा कि सड़कों का नवीनीकरण यातायात घन्त्व एवं सड़कों की श्रेणी पर निर्भर करता है। राज्य सड़क नीति 2013 के तहत सड़कों के नवीनीकरण की अवधि तय की गयी है। इसके तहत हल्के यातायात वाली ग्रामीण सड़क आठ वर्ष तक चल सकती है। इस अवधि के पश्चात् यातायात के दबाव के बिना भी सड़क टूटने लगती है। उन्होंने बताया कि शहरी सड़क के नवीनीकरण के लिए चार वर्ष, राज्य राजमार्ग के लिए पांच वर्ष, मुख्य जिला सड़कों के लिए छह वर्ष एवं अन्य जिला सड़कों के लिए आठ वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है।

■ ‘धौलपुर-करौली बाघ अभयारण्य में आने वाले गांवों के लोग मर्जी बिना विस्थापित नहीं किया जाएगा’

आदेशानुसार समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। इसके उपरांत ही सीटीएच का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि अलवर स्थित सरस्का टाइगर रिजर्व में दो बाघिनों के बीच हुए संघर्ष में एक बाघिन की घायल होने से मृत्यु हो गयी, जिसका नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाकर विधिवत रूप से सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया गया है। इससे पहले विधायक जसवंत गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में धौलपुर-करौली में सीटीएच के तहत आने वाले गांव में स्वीच्छिक विस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है।

अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही : खींवरसर

जयपुर (कासं)। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि खान विभाग सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सतर्कता से कार्य कर रहा है। खींवरसर प्रश्नकाल में विधायक केसाराम चौधरी के पूरक प्रश्नों का खान एवं पेट्रोलियम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पाली जिले में खान विभाग द्वारा गत तीन वर्षों (एक अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2025) में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कुल 67 प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें 49 प्रकरणों में पेनल्टी वसूली गई है और 18 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पाली में बजरी माफियाओं के खिलाफ भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पाली में बजरी खनन के लिए 511 लीज तथा 54 क्वारी लाइसेंस चल रहे हैं। इससे पहले चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने पाली में स्वीकृत खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस का खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाइसेंसधारियों के नाम सहित स्थानवार विवरण सदन के पटल पर रखा।



राजस्थान सरकार का उपक्रम



RIISING
RAJASTHAN
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

सरल ई-नीलामी के माध्यम से

आवंटन

61

कुल औद्योगिक क्षेत्र

290

कुल भूखण्ड

281

औद्योगिक भूखण्ड

09

लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईंप्टी प्राारम्भ तिथि: 04 फरवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 18 फरवरी, 2026 (सायं 06:00 बजे)	ऑनलाइन बिड प्राारम्भ तिथि: 19 फरवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 23 फरवरी, 2026 (सायं 05:00 बजे)		
28 आबू रोड़	01 चूरू	34 नागौर	07 उदयपुर
35 अजमेर	08 बीकानेर	07 पाली	02 जयपुर (दक्षिण)
03 अलवर	14 श्रीगंगानगर	24 झालावाड़	02 जयपुर (उत्तर)
07 भिवाड़ी-I	08 किशनगढ़	01 जालोर	22 ईभीआईभी सीतापुरा, जयपुर
23 भिवाड़ी-II	13 भीलवाड़ा	11 राजसमंद	02 जोधपुर
06 बोरानाडा	01 जयपुर (ग्रामीण)	20 कोटा	03 सवाईमाधोपुर
05 धिलोठ	03 नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 क्रियाओं में 8.5% व्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर व्याज रहित भुगतान या

रीको की टर्न रोलन स्क्रीन के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% व्याज के साथ

*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें



राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, श्री-स्क्रीम, जयपुर-302005

ई-नीलामी हैंगलाइन नं. 0141-4593250, 4593327, व्हाट्सएप: +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in

आवेदन से सम्बंधित निम्नो एवं वरी, ईमेल, विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं प्रमुख वेब सम्बंधित जानकारी के लिए देखें

https://riico.rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in

राज संवाद / श्री / 25 / 19083